न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-480/13</u> <u>संस्थापित दिनांक-27.12.2013</u> Filling no-235103002502013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1— नंदू आदिवासी उर्फ नंदराम पुत्र हीरालाल आदिवासी उम्र 26 साल
- 2— संजू आदिवासी पुत्र पप्पू आदिवासी आयु 19 साल निवासीगण — ग्राम राउत मोहल्ला चंदेरी

.....आरोपीगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 341, 324/34, 323/34(2-शीर्ष), 506 भाग दो भा0द0वि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 16. 09.2013 को रात करीब 11:00 बजे फिरयादी बन्टी उर्फ पिंकी हरिजन को सती चौराहा हैण्ड पम्प के पास चंदेरी थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर में फिरयादी बन्टी उर्फ पिंकी हरिजन को सार्वजिनक स्थान पर मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फिरयादी बन्टी उर्फ पिंकी हरिजन को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया तथा सह अभियुक्त नन्दू के साथ मिलकर फिरयादी बंटी उर्फ पिंकी हरिजन की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी संजू ने फिरयादी बंटी उर्फ पिंकी हरिजन की लोहे की पाईप से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की तथा सह अभियुक्त नन्दू के साथ मिलकर आहत कृपाल व सुनील की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी नन्दू ने कृपाल व सुनील की लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फिरयादी बन्टी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 31.08.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण नंदू आदिवासी उर्फ नंदराम, संजू को भा.द.वि की धारा 294, 341, 323/34(2—शीर्ष), 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी ने अपने दोस्त कृपाल, सुनील व पत्नी आशा के साथ थाना चंदेरी में जुबानी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह अपने दोस्तो व पत्नी के साथ डोला (विमान) देखकर घर वापस जा रहा था। सती चौराहा हैण्ड पम्प के पास संजू, नन्दू आदिवासी एवं उनके दो अन्य साथी ने उन लोगो को देखकर गालियां बकने लगे, तब उसने कहा कि गाली किसको दे रहे हो, इसी बात पर से चारों ने कहा कि तुमकों दे रहे हैं, और उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो तभी संजू हाथ में लोहे का पाईप लिये था, उस पाईप से मारा जो उसके सिर में लगी, खून निकल आया, दूसरा पाईप कमर में मारा मुंदी चोट आई। उसे बचाने उसके दोस्त कृपाल, सुनील आए तो नन्द्र आदिवासी ने कृपाल के सिर में लाठी मारी खून निकल आया तथा नन्दू के दो अन्य साथियों ने जिनका नाम नहीं जानता सक्ल से पहचानता हूँ उन्होंने कृपाल के डण्डे मारे दांहिने हाथ के दडा पर एवं पेशाब की जगह पर लगे मुंदी चोटे आई। सुनील की नन्दू ने लाठी से मारपीट की जिससे सुनील के सिर में, डेरे हाथ में, कमर में, सिर में, पैर में मुदी चोट आई थी। उसकी पत्नी आशा को मनोज ढीमर ने बचाया व घटना देखी है। फरियादी अपने घर तरफ आने लगा तो चारो ने उसका रास्ता रोक लिया और बोले की अगर तुम लोग रिपोर्ट करने गये तो जान से मार देगे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफतार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.09.2013 को रात करीब 11:00 बजे फरियादी बन्टी उर्फ पिंकी हरिजन को सती चौराहा हैण्ड पम्प के पास चंदेरी थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर में अभियुक्त नन्दू के साथ मिलकर फरियादी बंटी उर्फ पिंकी हरिजन की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी संजू ने फरियादी बंटी उर्फ पिंकी हरिजन की लोहे की पाईप से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार

अभियोजन में निहित होता है। फरियादी बंटी उर्फ पिंकी अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 3-4 साल पहले की होकर रात 10-11 बजे की है। घटना दिनांक को बंटी उर्फ पिंकी अ0सा01 विमान देखकर अपने घर वापस जा रहा था, रास्ते में सती चौराहे के हैन्ड पम्प के पास संजू एवं नन्दू आदिवासी मिले जिन्होंने उसे देखकर गाली गलौच करना शुरू कर दी, उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण से उसकी चैंटा-चाटी हो गई थी। घटना के समय उसके दोस्त कृपाल व सुनील आ गये जिनके साथ में आरोपीगण की धक्का मुक्की हो गई थी। उक्त धक्का मुक्की में उसे कृपान व सुनील को मामूली चोटे आ गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी, सुनील व कृपान की डॉक्टरी कराई थी और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि संजू हाथ में लोहे का पाईप लिये थे, उस पाईप से मारा जो मेरे सिर में लगा खून निकल आया और कमर में मुंदी चोट आई। इस बात से इंकार किया कि कृपान व सुनील को आरोपी नन्दू आदिवासी ने कृपान के सिर में लाठी मारी। इस बात से इंकार किया कि घटना स्थल पर नन्दू और संजू के अलावा उसके 2 अन्य साथी भी थे जिन्होंने उनके साथ झगड़ा किया था। इस बात से इंकार किया कि उसकी पत्नी आशा और मनोज दीवान ने उन्हें बचाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1, पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा होने के कारण न्यायायल में असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन साक्षी कृपाल अ०सा०2, सुनील अ०सा०3 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानते हैं। घटना करीब 3—4 साल पहले की होकर रात 10—11 बजे की है। घटना दिनांक को बंटी उर्फ पिंकी अ०सा०1, कृपाल अ०सा०2, सुनील अ०सा०3 विमान देखकर अपने घर वापस जा रहे थे, रास्ते में सती चौराहे के हैन्ड पम्प के पास संजू एवं नन्दू आदिवासी मिले जिन्होंने बंटी को देखकर गाली गलौच और चैंटा—चाटी हो गई थी। घटना के समय कृपाल अ०सा०2, सुनील अ०सा०3 आ गये जिनके साथ भी आरोपीगण की धक्का मुक्की हो गई थी। उक्त धक्का मुक्की में मुझे बंटी व सुनील को मामूली चोटे आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

- 09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि संजू न बंटी को लोहे के पाईप से मारा था जिससे उसके हाथ के दडा एवं पेशाब की जगह पर मुंदी चोट आ गई थी। साक्षी कृपाल अ0सा02, सुनील अ0सा03 को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 4, 5 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षीगण का कहना है कि ऐसा कथन उन्होंने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकते।
- 10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी बंटी उर्फ पिंकी अ0सा01 तथा आहत कृपाल अ0सा02, सुनील अ0सा03 द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में उन्हें चोट आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.09.2013 को रात करीब 11:00 बजे फरियादी बन्टी उर्फ पिंकी हरिजन को सती चौराहा हैण्ड पम्प के पास चंदेरी थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर में अभियुक्त नन्दू के साथ मिलकर फरियादी बंटी उर्फ पिंकी हरिजन की नारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी संजू ने फरियादी बंटी उर्फ पिंकी हरिजन की लोहे की पाईप से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी नन्दू आदिवासी उर्फ नन्दराम, संजू के विरूद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का पाईप मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0